रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 335] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1997/भाद्र 5, 1919
No. 335] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1997/BHADRA 5, 1919

## जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1997

**सा. का. नि. 490(अ).**—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए शुल्क) नियमावली, 1992 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के संबंध में जो इस अधिक्रमण से पहले किए जा चुके हैं अथवा जो किए जाने से रह गए हैं, एतद्द्वारा किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों अथवा पुलों अथवा दोनों के प्रयोग के लिए शुल्क उगाही के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—**

(i) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के प्रयोग के लिए शुल्क-सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित परियोजनाएं) नियमावली, 1979 होगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषा :—**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) है।

(ख) "निष्पादन एजेंसी" का आशय,—

(i) उन राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में जिनका प्रशासनिक नियंत्रण सीमा सड़क संगठन के पास है, सीमा सड़क विकास बोर्ड (जिन्हें इसमें आगे "बी आर डी बी" कहा गया है) से है।

(ii) उन राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा उनका कोई भाग जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिन्हें इसमें आगे "एन एच ए आई" कहा गया है) को सौंपा गया है, के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से है।

2132 GI/97.

(iii) अन्य मामलों में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र से है जिनको ऐसे कार्यों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्यायोजित की जाती है।

(ग) ''यांत्रिक वाहन'' का अभिप्राय कोई भी माल से भरा अथवा खाली वाहन से है जिसे अपने अधिकार के तहत चलाना निर्धारित हो, इसमें मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथापरिभाषित मोटर वाहन भी शामिल हैं।

(घ) ''विशेषाधिकार'' प्राप्त व्यक्ति का अभिप्राय किसी भी फर्म अथवा कंपनी अथवा व्यक्ति से है जिसको शुल्क वसूल करने और अपने पास रखने का विशेषाधिकार नीलामी के जरिये दिया गया है।

(ङ) ''शुल्क निरीक्षक'' का अभिप्राय किसी स्थायी पुल को पार करने वाले अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उपयोग करने वाले किसी यांत्रिक वाहन के संबंध में शुल्क वसूल करने के लिए संबंधित निष्पादन एजेंसी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है और इसमें शुल्क की वसूली के लिए ऐसे पुल अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर तैनात प्रत्येक सरकारी कर्मचारी शामिल है।

(च) फॉर्म ''क'' का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म ''क'' से है।

(छ) फॉर्म ''ख'' का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म ''ख'' से है।

(ज) फॉर्म ''ग'' का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म ''ग'' से है।

(झ) ''भुगतान एवं लेखा अधिकारी'' का अभिप्राय भुगतान एवं लेखा अधिकारी (रा. रा.), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली से है।

(ञ) ''स्थायी पुल'' का आशय एक ऐसे पुल से है जिसकी स्थायी संरचना हो और जिसकी लागत में स्वयं उस पुल की लागत, पहुंच मार्गों, पथ-प्रदर्शक बांध और संरक्षण कार्यों की लागत शामिल है। इसमें उन पथकर बूथों की लागत नहीं शामिल है जिनकी लागत 25 लाख रु. से अधिक है और प्रत्येक, पूरे किए जा चुके तथा 1 अप्रैल, 1976 को अथवा उसके बाद लेकिन 1 मई, 1992 से पहले यातायात के लिए खोले गए पुल आदि के लिए 100 लाख रु. तक की लागत हैं और तत्पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 लाख रु. से अधिक लागत के सभी पुल शुल्क वसूली की उगाही के लिए पृथक रूप से अधिसूचित किए जाएंगे तथा

(ट) ''राष्ट्रीय राजमार्ग खंड'' का अभिप्राय किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा बाइपास की अविच्छिन्न लंबाई से है जिसे वसूली के लिए पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

(ठ) ''खंड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर'' का अभिप्राय राज्य लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य देखने वाले अन्य किसी विभाग के ऐसे अधिकारी से है जिनका उक्त पदनाम अथवा उसके समकक्ष पदनाम हो तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित किसी सड़क विशेष अथवा स्थायी पुल का प्रभारी हो।

3. **शुल्क की दर और इसका भुगतान :**—इनकी उगाही की जाएगी और भारत सरकार की आरे से निष्पादन एजेंसी को इनका भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल अथवा दोनों के प्रयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल अथवा दोनों के संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित दरों पर यांत्रिक वाहनों पर शुल्क लगाया जाएगा।

4. **शुल्क की दरों को प्रदर्शित करना :**—किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल अथवा दोनों पर उगाही के लिए प्राधिकृत शुल्क दरों, दरों को प्रदर्शित करने वाली एक तालिका शुल्क वसूली बूथों के समीप एक सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी जिस पर अंग्रेजी, हिंदी तथा उस क्षेत्रीय भाषा में जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल अथवा दोनों स्थित हैं, जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी अथवा छपी होगी।

5. **वसूली की प्रक्रिया :**—इन नियमों के तहत लगाए गए सभी शुल्क संबंधित निष्पादन एजेंसी द्वारा विभागीय रूप से अथवा केन्द्र सरकार की ओर से प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर निजी ठेकेदारों के जरिए वसूल किए जाएंगे।

6. **शुल्क की विभागीय तौर पर वसूली :**—(1) संबंधित निष्पादन एजेंसी पर्याप्त संख्या में वसूली बूथों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रबंध करेगी। ये बूथ हस्तचालित अथवा स्वचालित होंगे अथवा इन दोनों की सहायता से, जैसा भी निष्पादन एजेंसी द्वारा ठीक समझा जाए, प्रचालित होंगे।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल के दानों सिरों पर यांत्रिक कार्य में सहायता के लिए आवश्यक पुलिस गार्ड सहित एक शुल्क निरीक्षक तैनात होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल अथवा दोनों का प्रयोग करने वाले यांत्रिक वाहन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित दरों पर शुल्क वसूलने के लिए प्राधिकृत होगा।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल अथवा दोनों के प्रत्येक सिरे पर यांत्रिक वहानों को रोकने के लिए एक क्रॉसबार उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) शुल्क निरीक्षक, क्रॉस बार पर यह सुनिश्चित करेगा कि यांत्रिक वाहनों को तब तक न जाने दिया जाए जब तक उससे संबंधित शुल्क का भुगतान न कर दिया हो।

**7. विभागीय रूप से शुल्क वसूलने के मामले में शुल्क वसूलने की विधि**

(1) प्रत्येक चालक, मालिक अथवा यांत्रिक वाहन का प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल को पार करने से पहले अथवा इसको पार करने के बाद क्रॉस बार पर अपना वाहन रोकेगा और शुल्क वसूली बूथों पर वाहनों के संबंध में लगाए गए शुल्क का भुगतान करेगा। बदले में शुल्क निरीक्षक फॉर्म ''क'' में डुप्लीकेट में रसीद तैयार करेगा और रसीद की एक कॉपी यांत्रिक वाहन के चालक, मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को दे देगा।

(2) यातायात की मुक्त और बाधा रहित आवाजाही को सरल बनाने के लिए पथ कर की वसूली निष्पादन एजेंसी की अधिकारिता के अंतर्गत प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की शुरुआत के प्वाइंट से अथवा पार किए जाने वाले प्रथम स्थायी पुल के प्रवेश के समीप से 80 कि. मी. की दूरी के भीतर केवल एक ही स्थान पर की जाएगी। भले ही उस लंबाई के अंतर्गत कई परियोजनाएं पड़ती हों। जहां पर ऐसा करना व्यवहार्य नहीं हों, वसूली बिंदुओं की संख्या कम से कम रखी जाएगी और केन्द्र सरकार के अनुमोदन से तय की जाएगी। शुल्क की वसूली वाहन के चालक, मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति से ऐसे वाहन द्वारा पार किए जाने वाले प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा अस्थायी पुल पर की जाएगी। वाहन के चालक, मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति जिसके पास ऐसे भुगतान की रसीद होगी, को अन्य खंडों अथवा पुलों पर तैनात शुल्क को यह रसीद दिखाने के बाद ऐसे राजमार्ग के अन्य खंडों और पुलों से बिना किसी बाधा के जाने दिया जायेगा। ऐसे खंडों और पुलों के ब्यौरे इस उपनियम के अंतर्गत आने वाले खंडों और पुलों के शुल्क वसूली बूथों के समीप सहज दृश्य स्थान पर अंग्रेजी, हिंदी और उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में, जहां ये खंड अथवा पुल स्थित हैं, सुपाठ्य रूप से लिखकर अथवा छपवा कर प्रदर्शित किए जाएंगे।

(3) शुल्क निरीक्षक केन्द्र सरकार से शुल्क अधिसूचना के प्राप्त होने पर फॉर्म ''क'' में दो प्रतियों में एक रसीद भरेगा और उसकी एक प्रति उस वाहन के चालक के मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को दे देगा जिस वाहन के शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और दूसरी प्रति रिकार्ड के लिए लौटा देगा।

(4) जब उसी वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा पुल को एक ही दिन में एक से अधिक बार पार करना हो तो प्रयोक्ता के सामने यह विकल्प होगा कि ऐसे खंड अथवा पुल को पहली बार पार करते समय ही सरकार द्वारा अधिसूचित दर का डेढ़ गुना भुगतान कर दे अथवा यदि वाहन को खंड अथवा पुल का बारम्बार इस्तेमाल करना पड़ता है तो वाहन मालिक 30 सिंगल दरों के बराबर प्रभारों का भुगतान करके एक मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

**8. विभागीय रूप से शुल्क वसूली के मामले में वसूले गए शुल्क का प्रेषण**

(1) कार्य पर तैनात शुल्क निरीक्षक अपनी ड्यूटी अवधि के दौरान वसूली के लिए और वसूल की गई राशि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। शुल्क निरीक्षक वसूली से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको कार्यमुक्त करने वाला आकर उससे कार्यभार नहीं सम्भाल लेता।

(2) शुल्क निरीक्षक फार्म ''क'' में यथाविहित नकदी रजिस्टर रखेगा और इसको अद्यतन बनाए रखेगा।

(3) शुल्क निरीक्षक अपनी ड्यूटी की अवधि समाप्त होने पर स्वयं द्वारा वसूल की गयी राशि अपने रिलीवर को देगा लेकिन इससे पहले नकदी रजिस्टर के सुसंगत कालम में उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(4) प्रत्येक दिन अपराह्न 4 बजे और 5 बजे के बीच ड्यूटी पर तैनात शुल्क निरीक्षक पिछले 24 घंटों के दौरान वसूले गए शुल्क की समस्त राशि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल के प्रभारी खंड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर को नकदी रजिस्टर के सुसंगत कालम में उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद दे देगा।

(5) प्रभारी खण्ड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर शुल्क निरीक्षक से प्राप्त वसूली की राशि को अपने कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई तिजोरी में रखेगा।

(6) प्रभारी खण्ड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर प्रत्येक शनिवार को अथवा यदि उस दिन कोई छुट्टी होती है तो अगले कार्यदिवस को शनिवार से पूर्ववर्ती सप्ताह में प्राप्त राशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान एवं लेखा अधिकारी को भेजेगा। भुगतान एवं लेखा अधिकारी इस प्रकार प्राप्त राशियों को अपने बही खातों में सुसंगत प्राप्ति शीर्ष में दर्ज करेगा।

(7) प्रभारी खण्ड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर फार्म ''ग'' में यथाविहित एक रजिस्टर रखेगा जिसमें भुगतान एवं लेखा अधिकारी को भेजी जाने वाली राशियां दर्शाई गई हों और वह रजिस्टर को अद्यतन रखेगा।

(8) प्रभारी खण्ड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर शुल्क की वसूली के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड अथवा स्थायी पुल पर तैनात स्टाफका पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा उचित लेखे व रिकार्ड रखेगा।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड स्थायी पुल का प्रभारी उप-मंडल अधिकारी शुल्क निरीक्षक अथवा प्रभारी खण्ड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर के कार्यालयों में महीने में कम-से-कम दो बार यह देखने के लिए अचानक दौरा करेगा कि क्या शुल्क की स्टाफ द्वारा वसूली और उसका प्रेषण इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है। वह नकदी रजिस्टर और स्टाफ द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों पर अपने दौरे के प्रमाणस्वरूप प्रतिहस्ताक्षर करेगा। ऐसा दौरा, तीन महीनों में कम-से-कम एक बार राज्य लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) के कार्यपालक इंजीनियर अथवा अन्य किसी विभाग में समकक्ष स्तर अधिकारी द्वारा भी किया जाएगा।

**9. विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के जरिए शुल्क वसूल करना** (1) - यदि शुल्क वसूली विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के जरिए करनी है तो शुल्क की

वसूली और ऐसे शुल्क को अपने पास रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अवधि के लिए जारी अनुदेशों के तहत नीलामी की जाएगी और धन राशि, निष्पादन एजेंसी द्वारा अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए निष्पादित करार की शर्तों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(2) शुल्क वसूली की विधि उप-नियम (1) में उल्लिखित विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से तय की जाएगी।

(3) किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल पर वसूल करने के लिए प्राधिकृत शुल्कों की तालिका ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा शुल्क वसूली बूथ के समीप किसी सहज दृश्य स्थान पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा उस क्षेत्र की भाषा में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है, सुपाठ्य रूप से लिखी होगी अथवा छपी होगी।

(4) इन नियमों के तहत शुल्क वसूलने और अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति किसी पदधारी को शुल्क वसूली प्रभारी के रूप में नामित करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि शुल्क अधिसूचित दरों से अधिक दरों पर वसूल न किया जाए और शुल्क वसूली का कार्य सड़क प्रयोक्ताओं को बिना परेशान किए सुचारू रूप से चलता रहे तथा साथ ही साथ वह राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड अथवा स्थायी पुल पर शुल्क वसूली से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

(5) शुल्क वसूली के ऐसे सरकारी प्रभारी का नाम पता और दूरभाष नं. उपयुक्त और सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(6) निष्पादन एजेंसी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति से इस प्रकार वसूल की गई नीलामी राशि एक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान एवं लेखा अधिकारी (रा. रा.), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज देगा। भुगतान एवं लेखा अधिकारी अपने बही खातों में इस प्रकार प्राप्त राशि को सुसंगत प्राप्ति शीर्ष कालम में दर्ज कर देगा।

10. विशेष शर्तें जब सरकार द्वारा निर्मित खंडों अथवा पुलों का प्रयोग निजी पार्टियों की निकटस्थ निर्माण, प्रचालन, एवं हस्तांतरण परियोजनाएं विकसित करने के लिए किया जाता है :—

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिश्चित निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांतरण परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुधारने के लिए ग्राही को शुल्क वसूलने और इस प्रकार वसूले गए शुल्कों को पूरी रियायती अवधि के लिए अपने पास रखने की अनुमति होगी जैसाकि राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/स्थायी पुल/राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्थायी पुलों के प्रयोग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क की वसूली) नियमावली, 1997 के तहत उसको दी गई सुविधा की पेशकश के संबंध में विशिष्ट करार में सहमति हुई। यह सुविधा रियायती अवधि की समाप्ति पर सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएगी और तत्पश्चात् शुल्क की वसूली इन नियमों द्वारा शासित होगी।

सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित कार्यक्रम के तहत निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/स्थायी पुल जिनको ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के निकटस्थ खण्डों के और अधिक विकास के लिए पेशकश की गई है, सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार रियायती अवधि की समाप्ति पर सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएंगे और तत्पश्चात शुल्क की वसूली इन नियमों द्वारा शासित होगी।

21. **शुल्क वसूली का कार्यकाल**—शुल्क निष्पादन एजेन्सी द्वारा स्थायी रूप से वसूल किया जाएगा।

12. **शुल्क-विवरणी प्रस्तुत करना**—(1) विभागीय रूप से शुल्क वसूली के मामले में सम्बन्धित निष्पादन एजेंसी प्रत्येक वर्ष में जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भुगतान एवं लेखा अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करेंगे जिसमें शामिल होंगे :—

(क) प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड अथवा स्थायी पुल के संबंध में शुल्कआय के बारे में वसूल की गयी राशि और प्रेषित की गयी राशि दर्शाने वाला महीनेवार समेकित विवरण और साथा ही साथ उस डिमान्ड ड्राफ्ट जिसके द्वारा राशि भेजी गयी है, की संख्या और तारीख के ब्यौरे तथा

(ख) निष्पादन एजेंसी द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा स्थायी पुल पर किए गए व्यय, जो कि किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर शुल्क की वसूली के आधार पर प्रतिपूर्ति किया जाना आवश्यक होगा, के माहवार ब्यौरे।

(2) विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के जरिए शुल्क वसूलने के मामले में संबंधित निष्पादन एजेंसी, भुगतान एवं लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को अथवा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के जरिए शुल्क वसूलने के लिए नीलामी के तुरन्त बाद विशेषाधिकार प्राप्त धन राशि और अवधि जिसके लिए विशेषाधिकार सौंपा गया है, के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करेगी।

13. **विभागीय रूप से शुल्क वसूली के मामले में प्रतिभूति देना**

प्रत्येक शुल्क निरीक्षक अथवा प्रभारी खण्ड अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर संबंधित कार्यपालक इंजीनियर अथवा अन्य किसी विभाग में समकक्ष स्तर के संबंधित अधिकारी के समक्ष विहित फार्म में एक प्रतिभूति बांड निष्पादित करके, जैसाकि राजकोष नियमों में निर्धारित किया गया है, न्यूनतम 1000/- रु. की नकद प्रतिभूति जमा करेगा।

[फा.सं. आर डब्ल्यू/एन एच-11012/2/92-डी.ओ.-I]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक

(सड़क विकास) एवं अपर सचिव

## फॉर्म "क"

[देखें नियम 7 (1)]

क्रम सं.

शुल्क के भुगतान की रसीद

खण्ड/स्थायी पुल का नाम

1. पंजीकरण संख्या सहित ..........................................
   यांत्रिक वाहन का विवरण ..........................................
2. माल लदा हुआ है या नहीं ..........................................
   अथवा वाहन में यात्री हैं या नहीं ..........................................
3. बाहरी यात्रा का समय और ..........................................
   तारीख ..........................................
4. चालक और/अथवा मालिक का ..........................................
   नाम ..........................................
5. भुगतान किए गए शुल्क की राशि ..........................................

शुल्क निरीक्षक के हस्ताक्षर

## फॉर्म "ख"

[देखें नियम 8 (2)]

नकदी रजिस्टर

| क्रम सं. | दिनांक | वाहन संख्या | भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम | रसीद की संख्या जिसके द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया है | भुगतान किए गए शुल्क की राशि | भुगतान किए गए शुल्क के प्रगामी आंकड़े | शुल्क निरीक्षक के हस्ताक्षर | क्रमिक शुल्क निरीक्षक के हस्ताक्षर | प्रभारी खण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

फॉर्म "ग"

[देखें नियम 8 (7)]

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/स्थायी पुलों पर वसूले गए शुल्क के आधार पर शुल्क-वसूली और प्रेषण का रिकार्ड दर्शाने वाला रजिस्टर

| क्रम सं. | प्रभारी खंड अधिकारी/ कनिष्ठ इंजीनियर का नाम | शुल्क निरीक्षक से वसूली गई राशि (जमा कर दी गई) | प्राप्ति की तारीख | बैंक का नाम जहां से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया गया है | डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और तारीख | डिमांड ड्राफ्ट की राशि | डिमांड ड्राफ्ट के प्रेषण के ब्यौरे | डिमांड ड्राफ्ट के डाक द्वारा प्रेषण की पंजीकरण संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

### (Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1997

**G.S.R. 490 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession of the National Highways (Fees for use of permanent bridges) Rules, 1992 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules to levy the fees for the use of sections of any National Highway or Bridges or both.

**1. Short title extent and commencement.**—(i) These rules may be called the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge-Public Funded Projects) Rules, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition.**—

In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the National Highways Act, 1956 (48 of 1956),

(b) "executing agency" means,—

(i) in the case of those National Highways administratively placed under the charge of Border Roads Organisation, the Border Roads Development Board (hereinafter referred to as 'BRDB');

(ii) in the case of those National Highways or part thereof entrusted to National Highways Authority of India (hereinafter referred to as NHAI), the National Highways Authority of India;

(iii) in other cases the State Government or Union Territory, the Administration to which such functions are delegated under section 5 of the Act;

(c) "Mechanical Vehicle" means any laden or unladen vehicle designed to be driven under its own power including a motor vehicle as defined in clause (28) of Section 2 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(d) "Franchisee" means a firm or a company or a person to whom the franchise to collect and retain the fee has been awarded through auction;

(e) "fee Inspector" means a person authorised by the executing agency concerned to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing a permanent bridge or using the National Highway Section and includes every Government employee posted on such bridge or National Highway Section in connection with the collection of fees;

(f) Form 'A' means Form 'A' appended to these rules;

(g) Form 'B' means Form 'B' appended to these rules;

(h) Form 'C' means Form 'C' appended to these rules;

(i) "Pay and Accounts Officer" means Pay and Accounts Officer (National Highway), Ministry of Surface Transport, New Delhi;

(j) "permanent bridge" means a bridge with permanent structure the cost of which includes the cost of bridge proper approach roads, guide bunds and protective work, excluding the cost of toll booths which is more than rupees 25 lakhs and upto rupees 100 lakh for each, completed and opened to traffic on or after first day of April 1976 but before the first day of May, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs. 100 lakhs on National Highway, which shall be notified separately for levy of fee collection, and

(k) "National Highway Section" means continuous length of any National Highway or By pass which shall be notified for separately levy of fee collection;

(l) "Sectional Officer/Junior Engineer" means the officer of the State Public Works Department (Roads and Building) of any other department dealing with National Highway having that designation of equivalent and being incharge of a particular road of permanent bridge located on a National Highway.

3. **Rate of fee and its payment.**—These shall be levied and paid to the executing agency, on behalf of the Government of India, fee on mechanical vehicles for the use of Natinal Highway Section or permanent bridge or both at the rates notified by the Central Government, in Official Gazette in respect of such National Highway Section or permanent bridge or both.

4. **Displaying of rates of fees.**—A table displaying rates of fees, rates authorised to be levied at any National Highway Section or permanent bridge or both shall be put up in a conspicuous place near the fee collection booths legibly written of printed in English, Hindi and the regional language of the area in which National Highway Section or permanent bridge or both are situated.

5. **Procedure for collection.**—All fees levied under these rules shall be collected by the executing agency concerned departmentally or through private contractors on the basis of competitive bidding on behalf of the Central Government.

6. **Collection of fees departmentally.**—(1) The executing agency concerned shall make necessary arrangement for putting up adequate number of collection booths, operated manually or by automatic arrangement or by combination of both as may be considered suitable by the executing agency.

(2) There shall be posted a Fee Inspector, with necessary police guard to assist at either end of the National Highway section or permanent bridge who shall be authorised to collect fee in respect of any mechanical vehicle using the National Highway section or permanent bridge or both, at the rates notified by the Central Government separately.

(3) There shall be provided at either end of the National Highway Section of permanent bridge or both together, a cross bar for securing the stoppage of mechanical vehicles.

(4) The Fee Inspector shall ensure at the cross bar that passage is not allowed to mechanical vehicles unless the fee leviable lin respect thereof has been paid.

7. **Mode of collection of fee in case of departmental fee collection.**—(1) Every driver, owner or person incharge of a mechanical vehicle shall, before crossing the National Highway Section or permanent bridge or having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicles at the fee collection booths. The Fee Inspectior shall in return, prepare a receipt in duplicate in Form 'A' and hand over one copy of the receipt to the driver or owner or person incharge of the mechanical vehicle.

(2) Toll collection shall be done only at one place within a distance of 80 Kms. from a point at the beginning of first National Highway Section or approach of entry of the first permament bridge to be crossed under the jurisdiction of the same executing agency, regardless of number of projects falling within the length in order to facilitate free and unhindered movement of traffic. Where it is not feasible to do so, the number of collection point shall be kept minimum and shall be decided with the approval of Central Government. The fee may be collected from the driver, owner or person incharge of a vehicle on the first National Highway Section or permanent bridge which is intended to be crossed by such vehicle. The driver, owner or person in charge of the vehicle holding the receipt of such payment shall be allowed to pass through other Sections and bridges of such Highway unhindered after showing the receipt to the Fee Inspector posted on other sections or bridges. Details of such Sections and bridges shall be displayed at a conspicuous place near the fee collection booths of the Sections or bridges covered under this sub-rule legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which such Sections or bridges are situated.

(3) The Fee Inspector shall on receipt of the fee notified by the Central Government fill up a receipt in duplicate in Form 'A' and deliver one copy thereof to the driver, owner or the person in charge of the vehicle in respect of which the fee has been paid and retain the second copy for record.

(4) When the same vehicle has to cross the National Highway section or bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and a half times of rate notified by the Government while crossing such section or bridge in the first trip itself, or if the vehicle has to use the section or bridge frequently the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to 30 single rates.

8. **Remittance of fee collection in case of departmental fee collection.**—(1) The Fee Inspector on duty shall be responsible for the collection and safe custody of the amounts collected during his duty period. The Fee Inspector shall not leave the collection booth till his reliever takes over from him.

(2) The Fee Inspector shall maintain a cash register as prescribed in Form 'B' and keep it posted upto date.

(3) The Fee Inspector shall at the end of the period of his duty hand over the amount collected by him to his reliever after obtaining the signature of the latter in the relevant column of the cash register.

(4) Every day between 16.00 hours and 17.00 hours the Fee Inspector on duty shall hand over the entire amount of the fee collected during the preceding 24 hours to the Sectional Officer/Junior Engineer-in-Charge of National Highway Section or permanent bridge after obtaining his signature in the relevant column of the cash register.

(5) The Sectional Officer/Junior Engineer-in-Charge shall keep the amounts of collection received from the Fee Inspector in the chest provided for the purpose at his office.

(6) The Sectional Officer/Junior Engineer-in-Charge shall on every Saturday or if it happens to be a holiday, on the next working day, remit the amount received by him in respect of the week preceding the Saturday by a demand draft to the Pay and Accounts Officer. The Pay and Accounts Officer shall account the amounts so received in the relevant receipt head in his books.

(7) The Sectional Officer/Junior Engineer-in-Charge shall maintain a register as prescribed in Form 'C' showing the remittance made to the Pay and Accounts Officer and shall keep the register posted up-to-date.

(8) The Sectional Officer/Junior Engineer-in-Charge shall exercise supervision and control over the staff posted at the National Highway Section or permanent bridge in connection with the collection of the fees and maintain the proper accounts and records.

(9) The Sub-Divisional Officer, in-charge of the National Highway Section or the permanent bridge shall pay surprise visits at least twice a month at the Offices of the Fee Inspector or the Sectional Officer/Junior Engineer-in-Charge to check that the collection and remittance of fees by the staff is being done in accordance with the provisions of these rules. He shall countersign the cash register and the other record maintained by the staff in token of such visit. Such visit, atleast once in three months shall also be made by the Executive Engineer of the State Public Works Department (Roads and Building) or by the officer of equivalent rank in any other department.

9. **Fee collection through franchisee.** (1) In case the fee collection is to be done through the franchisee, the collection of fee and retaining such fee shall be auctioned under the instructions for specific periods as the Central Government may issue and the money shall be collected by the executing agency or his authorised representative as per the terms and conditions of the agreement executed for such purposes.

(2) The mode of fee collection shall be decided by the franchisee referred to in sub-rule (1) with the approval of the Central Government.

(3) A table of fees authorised to be collected on any National Highway Section or permanent bridge shall be put up by such franchisee in a conspicuous place near a fee collection booth legibly written or printed in English, Hindi and the Regional language of the area in which the National Highway is situated.

(4) The franchisee authorised to collect and retain the fee under these rules shall nominate an official as in charge of fee collection who shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the notified rates and the fee collection is smooth without causing hardship to the road users and for all other matters connected with the fee collection on National Highway Section or permanent bridge.

(5) The name, address and telephone number if any, of such official incharge of fee collection shall be displayed at suitable and conspicuous locations.

(6) The executing agency shall remit the auction money so collected from the franchisee by a demand draft to the Pay and Accounts Officer (National Highway), Ministry of Surface Transfort, New Delhi. The Pay and Accounts Officer shall account the amount so received in the relevant receipt head in his books.

**10. Special conditions when sections or bridges built by Government are used for developing adjacent Build, Operate and Transfer Projects of private parties.**—To imporve the financial viability of a Build, Operate & Transfer project as decided by the Competent Authority, the concessionaire may be allowed to collect and retain the fees so collected for the full concession period as agreed to in the specific agreement in respect of the facility offered to him under National Highways (collection of fee by any person for the use of section of National Highways/permanent bridges/temporary bridges on National Highways) Rule, 1997 and the facility shall revert back to the Government at the end of concession period and the collection of fee thereafter shall be governed by these rules.

(6) National Highways Section/permanent bridges built under public funding programme and offered for developing furthercontiguous sections of such National Highway as decided by the Competent Authority shall revert back to the Government at the end of the concession period and the collection of fee thereafter shall be governed by these rules.

11. **Tenure of Fee Collection.**—The fee shall be collected in perpetuity by the executing agency.

12. **Submission of returns.**—(1) The executing agency concerned in case of departmental fee collection shall furnish returns in the first week of July, October, January and April of every year to the Pay and Accounts Officer containing—

(a) Monthwise consolidated statement showing the amount collected and remitted on account of fees proceeds in respect of each National Highway Section or permanent bridge alongwith the details of number and date of demand draft by which the amount has been remitted, and

(b) Monthwise break up of the expenditure incurred on each National Highway Section or permanent bridge by the executing agency required to be reimbursed on account of collection of the fees on the basis of actual expenditure incurred.

(2) The Executing Agency concerned in case of fee collection through franchisee shall furnish to the Pay and Accounts Officer, National Highways, Government of India, Ministry of Surface Transport, New Delhi or any other officer so authorised, the details regarding the franchise, the amount and the period for which the franchise has been awarded, immediately, after the auction for fee collection through such franchise.

13. **Furnishing of security in case of departmental fees collection.**—Every Fee Inspector or the Sectional Officer/Junior Engineer-in-charge shall deposit a cash security of not less than Rs. 1000 by executing a security bond in the prescribed form as laid down in the Treasury Rules with the concerned Executive Engineer or the concerned officer of equivalent rank in any other department.

[F. No. RW/NH-11012/2/92-DO.I]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

FORM 'A'

[See Rule 7 (1)]

R. No.

Receipt for payment of fee.

Name of Section/Permanent Bridge.

1. Description of mechanical vehicle with Registration number.
2. Whether laden or unladen or with or without passengers.
3. Time and date of outward journey.
4. Name of driver and/or owner.
5. Amount of fee paid.

Signature of Fee Inspector.

3132 GI/97—2.

**FORM 'B'**

**[ See Rule 8(2) ]**

**CASH REGISTER**

| Serial No. | Date | Vehicle Number | Name of person paying the fee | Number of receipt by which fee paid | Amount of fee paid | Progre-ssive figures of fee paid | Signa-tures of fee inspec-tor | Signa-tures of succe-ssive fee inspec-tor | Signa-tures of Sectional officer in-charge | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**FORM 'C'**

**[See Rule 8(7)]**

**Register showing record of fee collection and remittance on account of fee collected on National Highway Section/Permanent bridges**

| Sl. No. | Name of the Sectional Office-in-Charge/ Junior Engineer-in charge | Amount collected from the fee Inspec-tor (depo-sited) | Date of receipt | Name of the Bank from which Demand Draft is purchased | Number of De-mand Draft and date | Amount of De-mand Draft | Details of des-patch of De-mand Draft | Postal Registra-tion No. of des-patch of Demand Draft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997